न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 102 / 2016

तारीख रजू – 09.09.2016

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

1. सुमेरसिंह पुत्र परसादी
2. दरबसिंह पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादीगण

विरूद्ध

1. रत्तीराम पुत्र जोरे
2. हाकिम पुत्र विसराम
3. विजय पुत्र विसराम
4. मुकेश कुमारी पुत्री विसराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक

उपस्थिति

कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट – पक्ष वादी

श्री रमेश चंद सैनी, संजय गहलोत – पक्ष प्रतिवादीगण

दिनांक :– 06.01.2017

निर्णय

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 241 मे वर्णित खसरा नं0 195 रकवा 0.20 हेक्टयर, 196 रकवा 0.20 हेक्टयर, 197 रकवा 0.43 हेक्टयर, 198 रकवा 0.17 हेक्टयर, 199 रकवा 0.36 हेक्टयर, 266 रकवा 0.17 हेक्टयर, 267 रकवा 0.10 हेक्टयर, 268 रकवा 0.08 हेक्टयर, 338 रकवा 0.25 हेक्टयर, 339 रकवा 0.06 हेक्टयर, 376 रकवा 0.30 हेक्टयर, 377 रकवा 0.36 हेक्टयर, 467 रकवा 0.32 हेक्टयर, 617 रकवा 0.15 हेक्टयर, 632 रकवा 0.09 हेक्टयर, 683 रकवा 0.17 हेक्टयर, 743 रकवा 0.12 हेक्टयर, 748 रकवा 0.11 हेक्टयर, 897 रकवा 0.06 हेक्टयर, 906 रकवा 0.03 हेक्टयर, 933 रकवा 0.06 हेक्टयर, 970 रकवा 0.14 हेक्टयर, 979 रकवा 0.11 हेक्टयर कुल किता 23 कुल रकवा 4.04 हेक्टयर स्थित ग्राम घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। इन खसरा नम्बरान के गत

खसरा नं0 120, 119, 19, 26, 48, 139, 144, 166, 235, 188, 315, 349/400, 358 है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 के नाम हिस्सा 1/2, प्रतिवादी नं0 1 के नाम हिस्सा 1/2 की दर्ज है जबकि वादीगण के नाम हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 के नाम हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 1 के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज होनी चाहिये तथा इसी प्रकार खातेदार काश्तकार है। भूमि खाता सं0 21 मे वर्णित खसरा नं0 936 रकवा 0.19 हेक्टयर ग्राम घाटराशेरपुर मे स्थित है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है जबकि इस भूमि मे वादीगण हिस्सा 1/6 प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं0 2 ता 4 हिस्सा 1/6 की होनी चाहिये तथा इसी प्रकार खातेदार काश्तकार है। उक्त वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014, 2015 से 2018, 2019 से 2022 तक मे खातेदारी जोरे पुत्र हरमुख, परसादी, विसराम के नाम दर्ज है इसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 तक मे सहवन से जोरे पुत्र हरमुख के नाम दर्ज हो गई है इसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 तक मे खातेदारी विश्राम, रत्तीराम, जोरे के नाम हो गई है रेवन्यु रिकार्ड खसरा गिरधावरी सम्वत् 2013 व बाद की मे परसादी का नाम बतौर कब्जा काश्त दर्ज है। यह भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है यह एक क्लैरिकल मिस्ट्रेक है वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से आज तक हिस्सा 1/3 को लगातार बहैसियत खातेदार काश्त कर रहे है।

वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा इस प्रकार है

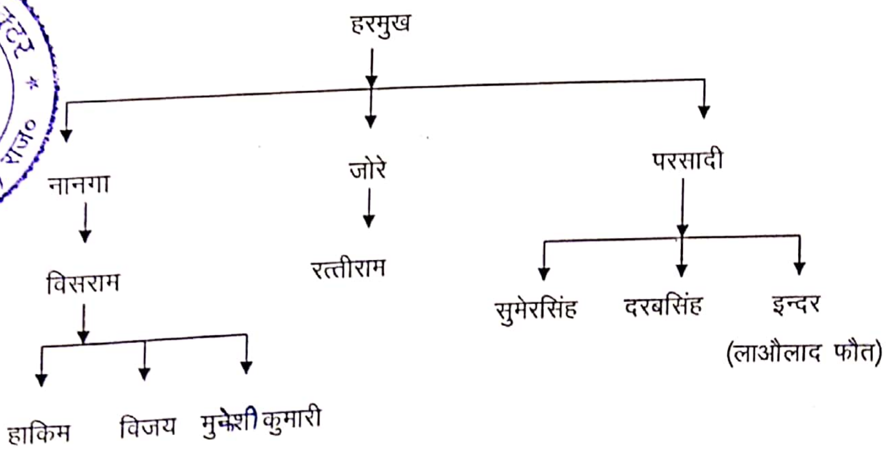

उक्त भूमि मे वादीगण के नाम भी खातेदारी दर्ज करने बाबत् प्रतिवादीगण से कहा तो वे टालमटोल करते रहे इसके बाद दिनांक 06.09.2016 को इन्कार हो गये इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (घोषणा खातेदारी) डिग्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 241 मे वर्णित खसरा नं0 195 रकवा 0.20 हेक्टयर, 196 रकवा 0.20 हेक्टयर, 197 रकवा 0.43 हेक्टयर, 198 रकवा 0.17 हेक्टयर, 199

ला कलक्टर
ोम (करौली)

Scanned by CamScanner

रकवा 0.36 हेक्टयर, 266 रकवा 0.17 हेक्टयर, 267 रकवा 0.10 हेक्टयर, 268 रकवा 0.08 हेक्टयर, 338 रकवा 0.25 हेक्टयर, 339 रकवा 0.06 हेक्टयर, 376 रकवा 0.30 हेक्टयर, 377 रकवा 0.36 हेक्टयर, 467 रकवा 0.32 हेक्टयर, 617 रकवा 0.15 हेक्टयर, 632 रकवा 0.09 हेक्टयर, 683 रकवा 0.17 हेक्टयर, 743 रकवा 0.12 हेक्टयर, 748 रकवा 0.11 हेक्टयर, 897 रकवा 0.06 हेक्टयर, 906 रकवा 0.03 हेक्टयर, 933 रकवा 0.06 हेक्टयर, 970 रकवा 0.14 हेक्टयर, 979 रकवा 0.11 हेक्टयर कुल किता 23 कुल रकवा 4.04 हेक्टयर स्थित ग्राम घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम मे प्रतिवादीगण के हिस्सा के स्थान पर वादीगण हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता सं0 21 मे वर्णित खसरा नं0 936 रकवा 0.19 हेक्टयर ग्राम घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम मे प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं0 1 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तहसीलदारजी टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण सुनवाई हेतु जारी किये गयें। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तरफ से उनके वकील ने वकालतनामा पेश किया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने लिखित मे राजीनामा पेश किया तथा न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया जो पत्रावली मे शामिल है। राजीनामा लिखित मे कथन किया कि खाता सं0 241 मे वर्णित भूमि मे वादीगण के नाम हिस्सा 1/3, प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा 2/3 की खातेदारी दर्ज कर दी जावे। यह भूमि पुश्तैनी भूमि है। वादीगण का दावा डिग्रि कर दिया जावें।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे हाल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062, जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014, 2015 से 2018, 2019 से 2022, 2023 से 2026, 2027 से 2029, 2030 से 2033, 2034 से 2037, 2038 से 2041 तक लगातार प्रस्तुत की है। खसरा गिरधावरी सम्वत् 2013 से 2015 तक प्रस्तुत की है। जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2015 मे खातेदारी जोरे पुत्र हरमुख, परसादी, विश्राम गुर्जर के नाम दर्ज है तथा इसके बाद की जमाबंदी मे लगातार इसी प्रकार इन्द्राज दर्ज है लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 तक मे जोरे पुत्र हरमुख व उसके बाद विश्राम, रत्तीराम पुत्र जोरे दर्ज हो गया है। परसादी का नाम सहवन से दर्ज नही हुआ है। नाहि परसादी के नाम को हटाने के संबंध मे जमाबंदी मे किसी भी प्रकार नोट दर्ज है। यह एक क्लैरिकल मिस्टेक भूल है। इस भूमि मे वादीगण के पिता परसादी भी हिस्सा 1/3 के खातेदार है और उनका नाम खातेदारी मे दर्ज होना चाहिये।

कलक्टर
(करौली)

Scanned by CamScanner

दौराने बहस वादीगण व प्रतिवादीगण के वकील ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण मे लिखित मे राजीनामा हो गया है जो पेश है। मुताबिक राजीनामा दावा डिग्रि कर दिया जायें। वादीगण के वकील ने दौराने बहस कथन किया कि भूमि खाता सं0 21 मे वर्णित खसरा नं0 936 के संबंध मे हम कोई रिलिफ नही चाहाते है इसलिये उक्त खसरा नम्बर के संबंध मे दावा निर्णित नही किया जायें। इस बिनापर ख.नं. 936 के संबंध में निर्णय नहीं किया गया।

उभयपक्षो की बहस सुनी गई, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा भूमि खाता सं0 241 मे वर्णित भूमि के संबंध मे दावा डिग्रि किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक डिग्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 241 मे वर्णित खसरा नं0 195 रकवा 0.20 हेक्टयर, 196 रकवा 0.20 हेक्टयर, 197 रकवा 0.43 हेक्टयर, 198 रकवा 0.17 हेक्टयर, 199 रकवा 0.36 हेक्टयर, 266 रकवा 0.17 हेक्टयर, 267 रकवा 0.10 हेक्टयर, 268 रकवा 0.08 हेक्टयर, 338 रकवा 0.25 हेक्टयर, 339 रकवा 0.06 हेक्टयर, 376 रकवा 0.30 हेक्टयर, 377 रकवा 0.36 हेक्टयर, 467 रकवा 0.32 हेक्टयर, 617 रकवा 0.15 हेक्टयर, 632 रकवा 0.09 हेक्टयर, 683 रकवा 0.17 हेक्टयर, 743 रकवा 0.12 हेक्टयर, 748 रकवा 0.11 हेक्टयर, 897 रकवा 0.06 हेक्टयर, 906 रकवा 0.03 हेक्टयर, 933 रकवा 0.06 हेक्टयर, 970 रकवा 0.14 हेक्टयर, 979 रकवा 0.11 हेक्टयर कुल किता 23 कुल रकवा 4.04 हेक्टयर स्थित ग्राम घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम मे वादीगण सुमेरसिंह, दरबसिंह पुत्रगण परसादी जाति गुर्जर निवासी घाटराशेरपुर तहसील टोडाभीम को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदार रत्तीराम पुत्र जोरे हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी हाकिमसिंह, विजयसिंह पुत्र विसराम, मुकेश कुमारी पुत्री विसराम हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जायें। बैंक रहन मुतर्हन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किये जाते है कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner